राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प.16(11)शिक्षा–1/95 जयपुर, दिनांक 06–7–06

आयुक्त,
माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

विषय :– विद्यार्थी सुरक्षा दुर्धटना बीमा योजना के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु विद्यार्थी सुरक्षा दुर्धटना बीमा योजना के संबंध में शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 30–6–2006 में लिये गये निर्णय के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि :–

1. राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के छात्र/छात्राओं तथा कक्षा 9 से 12 तक के छात्र/छात्राओं के लिये 14–11–2006 से पृथक–पृथक सामूहिक दुर्धटना सुरक्षा बीमा योजना की क्रियान्विति की जायेगी ।
2. कक्षा 9 से 12 तक के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के लिए सामूहिक बीमा पत्र जारी करने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग कुल 96.00 लाख रूपये सेवाकर सहित बीमा विभाग को भुगतान करेगा । इस राशि का संग्रहण माध्यमिक शिक्षा विभाग अध्ययनरत प्रत्येक छात्र से 10 रूपये एवं छात्रा से 5 रूपये प्रतिवर्ष संग्रहित कर निम्न निर्धारित समय सारणी अनुसार राशि बीमा विभाग को भिजवाने की सुनिश्चितता करावें ।
3. प्रत्येक संस्था प्रधान 30 सितम्बर के नामांकन की स्थिति के अनुसार छात्र–छात्राओं की सूची संग्रहित प्रीमियम राशि 15 अक्टूबर तक संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा के कार्यालय में जमा करायेगें । सभी जिला शिक्षा अधिकारी, संस्था अनुसार छात्र–छात्राओं का विवरण एवं संग्रहित राशि 30 अक्टूबर तक आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा विभाग को भिजवाने की सुनिश्चितता करेगें । 05 नवम्बर तक राशि एवं जिले अनुसार छात्र–छात्राओं का विवरण भिजवाने की सुनिश्चतता करावें ताकि जिसके आधार पर 14 नवम्बर से पूर्व बीमा विभाग द्वारा सामूहिक बीमा पत्र जारी किया जा सकें ।
4. वर्ष 2006–07 के शिक्षा सत्र में कक्षा 9 से 12 तक के अध्ययनरत छात्र–छात्राओं से उपरोक्त निर्णय अनुसार सभी शाला प्रधान छात्र के प्रवेश के समय विद्यालय शुल्क के साथ प्राप्त करेगें इस आशय का पत्र सभी अधीनस्थ कार्यालयों/संस्था प्रधानों एवं शिविरा के माध्यम से निर्देश भिजवाने की सुनिश्चितता करावें ।
5. बीमा विभाग द्वारा किसी छात्र–छात्रा की दुर्धटना होने पर दुर्धटना बीमा का लाभ निम्न प्रकार दिया जायेगा :–